राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुसाफिरखाना जनपद-अमेठी

(सम्बद्ध : डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या)

(Website : http://gpgcmfksln.org.in/)

प्रवेश विवरणिका

Admission Brochure

सत्र 2025 - 26

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुसाफिरखाना जनपद अमेठी

संक्षिप्त परिचय

प्रभु श्री राम की जन्म स्थली सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल अयोध्या से लगभग **100** किलोमीटर की दूरी पर जनपद अमेठी का एकमात्र **'राजकीय'** स्नातकोत्तर महाविद्यालय**,** तहसील- मुसाफिरखाना**,** जनपद अमेठी में अवस्थित है। दिनांक **15** जनवरी **1987** को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री**,** उत्तर प्रदेश**,** श्री सैयद सिब्ते के कर कमलों द्वारा इस महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया। तद् दिनांक से यह महाविद्यालय निरंतर विकास के सोपानों को चढ़ता हुआ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान कर उनके सर्वांगीण विकास तथा स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के महत् उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न है। यह महाविद्यालय डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय**,** अयोध्या से संबद्ध है। यहां वर्ष **1987** से वाणिज्य संकाय के अंतर्गत स्नातक तथा स्नातकोत्तर एवं विज्ञान संकाय की स्नातक कक्षाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। वर्ष **2021** से कला संकाय की स्नातक कक्षाओं का भी शुभारंभ हो चुका है। महाविद्यालय को यूजीसी की **2 F** तथा **12 B** की मान्यता प्राप्त है तथा रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) से भी अनुदान प्राप्त है। यह महाविद्यालय नैक (**NAAC**) के सभी मानकों को भी पूर्ण करने में सक्षम है। महाविद्यालय में सुगम पठन-पाठन हेतु निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं -

1. हरे-भरे वृक्षों से सुसज्जित प्लास्टिक मुक्त, तंबाकू -धूम्रपान निषिद्ध, स्वच्छ वातावरण से घिरा महाविद्यालय प्रांगण।
2. खेलकूद के उपकरणों से युक्त क्रीड़ा विभाग तथा क्रीड़ा प्रांगण।
3. वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय तथा कला संकाय के अलग-अलग भवन निर्मित।
4. शिक्षण कक्ष, प्रयोगात्मक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, ई-उपकरणों से सुसज्जित स्मार्ट कक्षाएं।
5. विभिन्न विषयों की लगभग 8000 पुस्तकों से समृद्ध पुस्तकालय।
6. विद्यार्थियों को अत्याधुनिक ई शिक्षण प्रणाली से जोड़ने के लिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, ई लर्निंग पार्क, प्रीलोडेड टेबलेट आदि सुविधाएं उपलब्ध।
7. महाविद्यालय में आर.ओ. युक्त शुद्ध पेयजल, सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा संरक्षण कर 24 घंटे अबाध विद्युत आपूर्ति तथा छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
8. सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों से युक्त परिसर।
9. छात्राओं हेतु छात्रा कॉमन रूम, लैंगिक समानता और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, बालिका हेल्थ क्लब, मिशन शक्ति परामर्श समिति आदि स्थापित।
10. विद्यार्थियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु छात्र कल्याण प्रकोष्ठ, एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ, अनुशासन प्रकोष्ठ (प्रॉक्टोरियल बोर्ड) का गठन।
11. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों तथा अन्य योजनाओं का लाभ; जैसे - कन्या सुमंगला योजना, टेबलेट, स्मार्टफोन वितरण योजना आदि।
12. रोवर्स रेंजर्स इकाई तथा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का सफल संचालन।

प्रवेश विवरणिका : सत्र 2025 – 26

1. उपलब्ध पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (PROGRAMMES), प्रवेश हेतु अर्हता एवं उपलब्ध सीटों का विवरण

क्रम सं०	पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (PROGRAMME)	उपलब्ध विषय	प्रवेश हेतु अर्हता (ELIGIBILITY FOR ADMISSION)	उपलब्ध सीटें
1	बी.ए.	हिन्दी, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र,	इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	480
2	बी.एस-सी. (गणित वर्ग)	गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान	गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषयों से इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	81
3	बी.एस-सी. (जीव विज्ञान वर्ग)	जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान	जीव विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	81
4	बी. कॉम		वाणिज्य वर्ग / कला वर्ग - अर्थशास्त्र विषय के साथ / विज्ञान वर्ग गणित विषय के साथ इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	160
5	एम.कॉम		वाणिज्य विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	81

2. प्रवेश प्रक्रिया (Method of Admission)

सत्र 2025-26 में प्रवेश योग्यता प्रदायी परीक्षा के अंकों के आधार पर तथा आवेदन की संख्या निर्धारित सीट संख्या से अधिक होने पर अधिभार अंक सहित मेरिट बनाकर किया जाएगा।

3. प्रवेश कार्यक्रम (Schedule of Admission)

1. आनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	01 मई 2025
2. आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	15 जून 2025
3. मेरिट सूची निर्गत करने की तिथि	- बाद में घोषित की जाएगी - अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट http://gpgcmfksln.org.in/ का अवलोकन करते रहें।
4. प्रवेश / काउन्सिलिंग की तिथि	

4. प्रवेश पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)

सत्र 2025-26 में प्रवेश पंजीकरण शुल्क ` 100/- निर्धारित किया गया है।

5. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Online Application Process)

1. सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाईट https://rmlauadm.samarth.edu.in/ पर RMLAURN हेतु रजिस्ट्रेशन करें तथा RMLAURN प्राप्त करें | तत्पश्चात महाविद्यालय की वेबसाईट https://onlinegpgcmfksln.in पर Registration पर क्लिक करें और Programme Type, Programme, Semester / Year, Name, Father's Name, Mother's Name, Date of Birth और Mobile Number भर कर अपना चालान रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें।
2. फीस जमा करने के बाद आपको Transaction ID मिलेगा। इस Transaction ID को सुरक्षित रखें।
3. Transaction ID मिलने के बाद Apply Online पर क्लिक करें।
4. Transaction ID और Mobile Number भरकर लॉगिन Continue पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा।
5. अपना Personal Details, Academic Details, Weightage Claimed, आदि भरें तथा Photo और Signature अपलोड करने के बाद अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दें।
6. आवेदन पत्र प्रिंट करें और सुरक्षित रख लें।
7. मेरिट लिस्ट में नाम आने पर प्रवेश की आगे की प्रक्रिया हेतु काउंसिलिंग की निर्धारित तिथि और समय पर समस्त वांछित अंकपत्रों और प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों (संलग्नकों की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें), के साथ प्रिंटेड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को महाविद्यालय में जमा करें। वेरीफिकेशन हेतु सभी मूल अंकपत्रों और प्रमाणपत्रों की मूल प्रति भी साथ लेकर आएं।

6. आवेदन पत्र भरने में सावधानियाँ

आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी विवरणिका का भलीभांति अवलोकन करें तथा निम्न सूचनाओं पर विशेष ध्यान दें-

1. आवेदन कर्त्ता अपना मोबाइल नंम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें। इसमें त्रुटि होने पर आगे की सूचनाएं बाधित हो जाएंगी।
2. अभ्यर्थी अपना नाम एवं जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार सही - सहीं भरें।
3. प्रवेश आवेदन भरते समय मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि, एवं अधिभार (weightage) तथा श्रेणी सही - सही भरें क्योंकि save करने के पश्चात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
4. प्रवेश आवेदन फार्म Final submit करने के पश्चात कोई सुधार संभव नहीं होगा। अत: फाइनल सबमिट से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि भरी गई समस्त जानकारी पूर्णत: सत्य है।
5. शुल्क भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कन्फर्म होना चाहिए। यदि आपका पेमेन्ट सफल हो जाता है किन्तु निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कन्फर्म नहीं होता है तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा।
6. उपरोक्त सूचनाओं की अनदेखी और लापरवाही से आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी को प्रवेश से वंचित कर सकती है जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. वर्ष 2025 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं किन्तु परीक्षा परिणाम घोषित होते ही (मेरिट सूची के प्रकाशन से पूर्व) उन्हें अपना परीक्षा परिणाम अपलोड करना होगा जिससे मेरिट सूची बनाते समय उनके नाम पर विचार किया जा सकेगा।

7. प्रवेश हेतु नियम एवं निर्देश (Rules and Instructions for Admission)

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की प्रवेश समिति में पारित प्रवेश नियमावली के आधार पर सम्पन्न होगी।

2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा।
3. आवेदन-पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े। गलत प्रविष्टियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश योग्यता प्रदायी परीक्षा में प्राप्त अंको में अधिभार (यदि कोई हो) को जोड़ने के पश्चात मेरिट सूची बनाकर किया जाएगा।
5. प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन फार्म की एक प्रति, मेरिट सूची के आधार पर निर्गत काउन्सिलिंग पत्र, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपेक्षित समस्त अंक पत्रों / प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ संलग्न करके लाना अनिवार्य है। काउन्सिलिंग के समय संलग्न छायाप्रतियों के मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य है।
6. वर्ष 2022 के पूर्व इण्टमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातक कक्षा में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. वर्ष 2022 के पूर्व स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातकोत्तर कक्षा में सब 2025- 26 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
8. बी.काम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा वाणिज्य वर्ग / कला वर्ग अर्थशास्त्र विषय के साथ / विज्ञान वर्ग गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट व्यवसायपरक शिक्षा तथा जीव विज्ञान संवर्ग वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
9. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय में स्नातक कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
10. प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आरक्षण नियमों के अन्तर्गत सम्पन्न होगी।
11. प्रवेश के समय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.), प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) मूलरूप में जमा करना होगा।
12. विश्वविद्यालय अधिनियमों के अनुसार प्रवेश संबंधी निर्णय का अंतिम अधिकार महाविद्यालय प्रशासन का है। महाविद्यालय बिना किसी कारण का उल्लेख किए प्रवेश को अस्वीकृत किया जा सकता हैं।
13. अपूर्ण आवेदन पत्रों / नियत समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
14. प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची कॉलेज की वेब साइट पर जारी कर दी जाएगी।
15. प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनाओं हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट http://gpgcmfksln.org.in/ का निरन्तर अवलोकन करते रहें क्योंकि समस्त सूचनाएं वहीं से प्राप्त होंगी।
16. विषय परिवर्तन या संकाय परिवर्तन किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा और न ही प्रवेश शुल्क आदि का समायोजन किया जाएगा।

8. महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर संकायवार संचालित विषयों की सूची

कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय(स्नातक)	**विज्ञान संकाय(स्नातक)**	**वाणिज्य संकाय(स्नातक/स्नातकोत्तर)**
1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. समाज शास्त्र 4. राजनीति विज्ञान 5. अर्थशास्त्र 6. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास) 7. गृहविज्ञान 8. शारीरिक शिक्षा	1. गणित 2. भौतिक विज्ञान 3. रसायन विज्ञान 4. प्राणि विज्ञान 5. वनस्पति विज्ञान	1. बी.कॉम 2. एम.कॉम

10. प्रवेश हेतु स्वीकृत अंतराल

प्रवेश हेतु दो वर्ष का अन्तराल अनुमन्य है। इसके लिए शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ पत्र इस आशय का होगा कि अभ्यर्थी ने अन्तराल वर्ष / वर्षों में कहीं प्रवेश नहीं लिया था और न ही अनुचित साधन के प्रयोग में दंडित किया गया था। एक वर्ष के अन्तराल पर 02% एवं दो वर्ष के अन्तराल पर 03% की कटौती की जाएगी।

11. काउन्सिलिंग (Counselling)

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित काउन्सलिंग तिथि पर समस्त मूल अंक पत्र / प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश के समय मूल टी.सी. / माइग्रेसन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः जमा करना होगा। विषयों का आवंटन उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा किन्तु किसी भी दशा में दो से अधिक प्रायोगिक विषय कला संकाय में मेजर विषय के रूप में आवंटित नही किया जाएगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जाति एवं आय प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

12. शुल्क भुगतान

काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को आवंटन पत्र दिया जाएगा जिसमें दिये गये आवंटन क्रमांक द्वारा उसे काउंसलिंग के दो दिन के भीतर आनलाइन फीस वेबसाइट http://gpgcmfksln.org.in/ पर जमा करनी होगी।। शुल्क भुगतान की दो प्रतियां महाविद्यालय के सम्बन्धित काउन्टर पर जमा करना होगा।

13. प्रवेश हेतु

1. **ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)**
   आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण-पत्र

मान्य नहीं होगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हो।

2. **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)**
    1. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सभी श्रेणियों (दृष्टि हीन / कम दृष्टि/ श्रवण हास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) के लिए पृथक-पृथक 01% स्थान कुल 03% स्थान संबंधित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त दिव्यांगता 60% या 60% से अधिक होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
    2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02% सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
    3. उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम 10% आरक्षण अनुमन्य होगा।
    4. महाविद्यालय के कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा-पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री) के लिए 5-5% स्थान (कुल 10% स्थान) सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

14. अधिभार (Weightage)

खेलकूद/एनसीसी/एन एस एस/ स्काउट गाइड आदि संबंधी अधिभार नियमानुसार देय होगा।

15. हेल्पडेस्क (Helpdesk)

अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन सम्बन्धित किसी भी समस्या के निराकरण हेतु Email - Helpline Number पर मेल कर सकते हैं। मेल द्वारा अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन सम्बन्धित समस्या का समाधान किया जाएगा।

16. स्नातक स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा लिए जाने वाले विषय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अभ्यर्थी को विषय का आवंटन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा-

1. मुख्य (मेजर) विषय 1
2. मुख्य (मेजर) विषय 2
3. मुख्य (मेजर) विषय 3
4. माइनर इलेक्टिव पेपर
5. व्यावसायिक / कौशल विकास कोर्स (Vocational / Skill Development Course)
6. सह पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course)

17. शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रवेश संबंधी विषय चयन हेतु दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं।

1. सर्वप्रथम विद्यार्थी महाविद्यालय में अपने संकाय कला/विज्ञान/वाणिज्य का चुनाव Pre-requisite (पात्रता) के अनुसार करेगा। (विस्तृत विवरण बिन्दु A.पर देखें)

2. महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों तथा नियमों के अनुसार विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जाएगा। (संबंधित नियम बिन्दु A तथा बिन्दु G पर देखें)
3. विद्यार्थी द्वारा तीन मुख्य विषयों का चुनाव किया जाएगा। जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से नियमानुसार ले सकता है। (संबंधित नियम बिन्दु A तथा अपने चयनित संकाय के विषय संयोजन शीर्षक में देखें)
4. विद्यार्थी को प्रथम 4 सेमेस्टर हेतु प्रतिवर्ष के क्रम में (अर्थात प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष में तृतीय सेमेस्टर अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में) एक माइनर /इलेक्टिव विषय किसी दूसरे विभाग/ संकाय से लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर - इलेक्टिव विषय आवंटित किया जाएगा। (सूची संख्या - 4 के अनुसार)
5. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 4 सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेना होगा। (विस्तृत विवरण बिंदु F में देखें)
6. प्रवेश प्रक्रिया के समय छात्र द्वारा इंटरमीडिएट के विषय वर्ग (यथा कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, व्यवसायिक वर्ग के साथ उसके द्वारा इंटर में चयनित विषय तथा विज्ञान वर्ग के लिए विशेष समूह (एक- गणित, भौतिकी, रसायन; दो- रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान) को ध्यान में रखते हुए मेजर/ माइनर/ इलेक्टिव विषय के चयन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

A. स्नातक प्रथम- सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय-वर्ग /संकाय के लिए Pre-requisite (पात्रता) –

1. विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा; किंतु यदि छात्र ने हाई स्कूल/ इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है, तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य है।

2. कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा; किंतु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है अथवा हाई स्कूल के स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है, तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।

3. वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

4. कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा; किंतु यदि छात्र ने हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है, तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।

5. व्यवसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा; किंतु यदि छात्र ने हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।

B. कला संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन-

कला संकाय के अंतर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय चयन के लिए विषय संयोजन (subject combination) निम्नलिखित सूची के अनुसार किया जायेगा।

सूची संख्या- 1

समूह - अ	समूह - ब	समूह - स
1. हिन्दी 2. अंग्रेजी	1. शारीरिक शिक्षा 2. गृह विज्ञान 3. समाज शास्त्र 4. राजनीति शास्त्र	1. अर्थशास्त्र 2. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास

नोट-

विद्यार्थी किसी भी समूह से अधिकतम दो ही विषयों का चयन कर सकता है | प्रत्येक विषय में सीटों की सीमित संख्या के दृष्टिगत काउंसिलिंग में उपस्थिति के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत विषय समूह आवंटित किया जाएगा। अतः आवेदित विषय समूह में काउंसलिंग के दौरान परिवर्तन किया जा सकता है। विषय आवंटन में प्रवेश समिति का निर्णय मान्य होगा, मेरिट अथवा आरक्षण के नियम लागू नहीं होंगे।

C. विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन-

विज्ञान संकाय के अंतर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय चयन के लिए विषय संयोजन (subject combination) निम्नलिखित सूची के अनुसार किया जायेगा।

सूची संख्या-2

Group A	Group B	Group C
1. Physics 2. Mathematics	1. Chemistry	1. Botany 2. Zoology

नोट -

a. प्रत्येक विद्यार्थी विज्ञान संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 2 और अधिकतम 3 विषयों का चयन कर सकता है सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

b. Group A और Group C के विषय सम्मिलित रूप से विषय संयोजन के लिए चयनित नहीं किए जाएंगे।

c. जिन छात्रों ने इंटरमीडिएट में Physics और Mathematics विषयों का अध्ययन किया है, वे ही Group A के विषयों का चयन कर सकते हैं।

d. जिन छात्रों ने इंटरमीडिएट में Chemistry विषय का अध्ययन किया है वे ही Group B के विषय का चयन कर सकते हैं।

e. जिन छात्रों ने इंटरमीडिएट में Biology विषयों का अध्ययन किया है वे ही Group C के विषयों का चयन कर सकते हैं।

D. माइनर/इलेक्टिव विषय का चयन-

1. माइनर विषय का चयन स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए Pre-requisite (पात्रता) के आधार पर किया जाना है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम दूसरे विभाग/ संकाय से चयनित किया जाना है। अतः यह पाठ्यक्रम उस विभाग का नियमित पाठ्यक्रम ही होगा। उदाहरण स्वरूप विज्ञान का छात्र विज्ञान संकाय से तीन मेजर कोर्स चयनित करने के बाद एक माइनर कोर्स इंडियन कांस्टिट्यूशन जो कला संकाय के राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम विभाग का विषय है अथवा मॉडर्न हिस्ट्री जो कला संकाय की इतिहास पाठ्यक्रम विभाग का विषय है चयनित कर सकता है। वहीं छात्र तीन मेजर कोर्स विज्ञान संकाय से चयनित करने के साथ 1 माइनर विषय विज्ञान संकाय के दूसरे विभाग से भी चयनित कर सकता है।
2. स्नातक स्तर पर विषयों के चयन में Pre-requisite (पात्रता) का विशेष रूप से ध्यान रखना है। छात्र माइनर के रूप में वही विषय चयनित कर सकते हैं जिसके लिए वह pre-requisite को क्वालीफाई कर रहे हों। (सूची संख्या-3) के अनुसार।
3. छात्र किसी पाठ्यक्रम के उन्हीं प्रश्न पत्रों को माइनर के रूप में चयनित करेगा जिसका सापेक्षिक क्रेडिट 4/5/6 हो।
4. छात्र को प्रतिवर्ष के क्रम में माइनर विषय चयनित करने की स्वतंत्रता होगी। उदाहरण के लिए - यदि छात्र स्नातक प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय को माइनर के रूप में चयनित करता है तो उसकी परीक्षा उसे प्रथम सेमेस्टर में ही देनी होगी। यदि वह प्रथम के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर में माइनर विषय चयनित करता है तो उसे उसकी परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में देनी होगी। समान व्यवस्था द्वितीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी।
5. प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में यह अंकित है कि संबंधित प्रश्न पत्र को कौन से छात्र माइनर के रूप में ले सकते हैं। (संबंधित विषय के पाठ्यक्रम को जानने के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट पर syllabus टैब का अवलोकन करें)

प्रथम सेमेस्टर के लिए उपलब्ध - इलेक्टिव विषयों की सूची निम्नवत् है-

सूची संख्या-3

क्रम संख्या	विषय	माइनर/चयनित पेपर	उपलब्धता	क्रेडिट
1	History	Ancient and Early Medieval India (till 1206 A.D.)	Open to All	6
2	Commerce	Business Organization	Math in 10th	6
3	Commerce	Business statistics	Math in 10th	6
4	Commerce	Business communication	Math in 10th	6
5	Commerce	Introduction to computer application	Open to All	6
6	English	English prose and writing skills	Open to All	6
7	Hindi	हिन्दी काव्य	Open to All	6
8	Economics	Principle of microeconomics.	Open to All	6
9	Home science	Fundamentals of Nutrition and Human Development	Open to All	4
10	Physical Education	Elements of physical Education	Open to All	4

11	Political science	Indian National movement and constitution of India	Open to All	4
12	Sociology	Introduction to basic concepts of sociology	Open to All	4
13	Botany	Microbiology and Plant Pathology	Biology in 12th	4
14	Chemistry	Fundamentals of Chemistry	Chemistry in 12th	4
15	Mathematics	Differential calculus and Integral calculus	Math in 12th	4
16	Physics	Mathematical physics and Newtonian mechanics	Physics in 12th	4
17	Zoology	Cytology, Genetics and Infectious Diseases	Biology in 12th	4

उपरोक्त सूची में प्रायोगिक विषयों के संदर्भ में छात्र संबंधित विषय के मात्र सैद्धांतिक अंश का अध्ययन कर चार क्रेडिट प्राप्त कर सकता है और शेष दो क्रेडिट मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पाठ्यक्रम से अर्जित कर सकता है।

E. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-curricular)-

सभी संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग तथा वाणिज्य वर्ग के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों के अध्ययन अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा-

- प्रथम सेमेस्टर : खाद्य पोषण एवं स्वच्छता (Food Nutrition and Hygiene)
- द्वितीय सेमेस्टर : प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(First Aid and Health)
- तृतीय सेमेस्टर : मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human values and Environmental studies)
- चतुर्थ सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
- पंचम सेमेस्टर : विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)
- षष्टम सेमेस्टर : संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास(Communication Skill and Personality Development)

F. कौशल विकास/ रोजगार-परक (वोकेशनल) पाठ्यक्रम-

महाविद्यालय में वर्तमान समय में उपलब्ध वोकेशनल पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं-

सूची संख्या-4

क्रम सं.	वोकेशनल कोर्स	Pre- requisite (पात्रता)	सीट संख्या
1.	Typewriting (Hindi & English)	B.A.	100
2.	Nutrition and Dietician	B.A.	100
3.	Yoga & Fitness	B.A.	100
4.	Sales and Marketing Management	B.Com.	100
5.	Computer Application	B.Sc.	100

नोट-

1. विद्यार्थी को इनमें से किसी एक वोकेशनल कोर्स का चयन Pre-requisite पात्रता के आधार पर करना होगा। उपरोक्त वोकेशनल कोर्स की सीटें सीमित हैं।
2. वोकेशनल कोर्स विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार बढ़ाए जा सकते हैं।
3. उपरोक्त सभी वोकेशनल कोर्स Progressive nature के हैं अर्थात अगले सेमेस्टर में पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता बढ़ती जाएगी।

G. सीटों का निर्धारण-

1. कला संकाय स्नातक हेतु सीटों की कुल संख्या- 480 है। मानविकी विषयों में कुल सीटें 160 तथा प्रायोगिक विषयों में कुल 80 सीटें निर्धारित हैं। (प्रवेश समिति द्वारा उक्त सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।)
2. विज्ञान संकाय स्नातक के प्रत्येक वर्ग हेतु सीटों की कुल संख्या 81, तथा कुल संख्या- 160 है।
3. वाणिज्य संकाय स्नातक हेतु निर्धारित कुल सीट संख्या - 160 है।

नोट:- महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी भी समय प्रवेश प्रक्रिया, विषय निर्धारण तथा सीटों की संख्या के निर्धारण में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

18. प्रवेश हेतु अन्य सामान्य नियम

1. प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने के पश्चात् जब तक लेजर क्रमांक का आवंटन नहीं होता है, तब तक अंतिम रूप से प्रवेश मान्य नहीं होगा।
2. प्रवेश के पश्चात परिचय पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त हो सकेगा, जिसे छात्र को सुरक्षित रखना होगा । परिचय पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को द्वितीय प्रति हेतु महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।
3. प्रवेश लेते समय यदि एक स्थान रिक्त हो और दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हों तो जन्मतिथि में वरिष्ठ छात्र का प्रवेश लिया जाएगा।

4. विद्यार्थी को प्रवेश के समय अपने शैक्षणिक अर्हता के अनुसार महाविद्यालय में उपलब्ध संकायों में से एक संकाय का चयन करना होगा जो अभ्यर्थी का संकाय कहा जाएगा।
5. आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी जिस वर्ग से आरक्षण का अधिकारी है, उसे अपना संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. अभ्यर्थी जिस श्रेणी के लिए आवेदन पत्र पर अपनी स्वीकृति देगा, उसी के अनुरूप उसे प्रवेश की अनुमति/ सुविधा दी जायेगी, बशर्ते कि वह अर्ह हो तथा योग्यताक्रम में आता हो।
7. अलग-अलग संकायों / विषयों हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा। प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के बाद किसी भी दशा में संकाय/ विषय का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। किसी विषय में प्रवेश लेने के पश्चात् प्रवेश अथवा अन्य शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।
8. काउन्सिलिंग के समय सभी मूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) / माइग्रेशन प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा | प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित नहीं होने पर चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
9. गलत सूचनाओं के आधार पर प्रवेश हेतु प्राप्त अनुमति एवं शुल्क जमा करने के बाद भी प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं इस दशा में भी जमा शुल्क वापस नहीं होगा।
10. जनपद के पुलिस अधीक्षक की अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही किसी विदेशी छात्र का प्रवेश लिया जा सकता है।
11. महाविद्यालय प्रशासन को किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश अनुशासन बनाये रखने हेतु निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. महाविद्यालय में किसी छात्र का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
13. अनुशासन मंडल के अनुसार रैगिंग करने, महाविद्यालय परिसर के वातावरण को दूषित करने अथवा महाविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार करने का दोषी पाये जाने पर बिना कारण बताये छात्र / छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
14. प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी सभी सूचनायें महाविद्यालय की वेबसाइट तथा सूचना पट्ट पर दी जायेगी।

19. उपस्थिति

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेशित छात्र - छात्राओं को विश्वविद्यालयी परीक्षा में सम्मिलित होने एवं छात्र वृत्ति प्राप्त करने हेतु कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है |